भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2380 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 13 फ़रवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग विकास

† 2380. श्री कोडिकुन्नील नील सुरेश:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क के हिस्से के रूप में अलाप्पुझा चंगनास्सेरी खंड के विकास को मंजूरी दे दी है और यदि हाँ, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के लिए इसकी मंजूरी के बाद से अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक तलमार्जन, तट संरक्षण, नौचालन सुविधाओं, टर्मिनलों और संबंधित बुनियादी ढांचे सहित क्या वास्तविक प्रगति हासिल की गई है;

(घ) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी या तकनीकी बाधाओं सहित उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के लिए जिम्मेदार कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केरल राज्य के कुट्टनाड और आसपास के क्षेत्रों के अंतर्देशीय परिवहन, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए इसके महत्व को देखते हुए अलाप्पुझा - चंगनास्सेरी राष्ट्रीय जलमार्ग को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): अलाप्पुझा और चंगनासेरी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.- 8) घोषित किया गया है। जलयानों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नौचालन हेतु आवश्यक सहायता और फेयरवे विकास कार्य शुरू किए गए हैं। यह जलमार्ग चालू है। राष्ट्रीय जलमार्ग को

चालू रखने के लिए प्रचालन और रख-रखाव कार्य एक चालू प्रक्रिया है। इसके अनुमोदन के बाद से कथित परियोजना की अब तक स्वीकृति, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष- वार विवरण निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रु. में)	जारी और उपयोग धनराशि (करोड़ रु. में)
2019-20	0.24	0.24
2020-21	0.04	0.04
2021-22	0.04	0.04
2022-23	0.04	0.04
2023-24	0.05	0.04
2024-25	0.87	0.75
2025-26	0.85	0.78

*****